भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2673
बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019/20 अग्रहायण, 1941 (शक)

विनिर्माण और सन्निर्माण क्षेत्र में नौकरियों का
खत्म होना

2673. श्री शमशेर सिंह ढुलोः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत चार वर्षों में विनिर्माण और सन्निर्माण क्षेत्र में 'पंजाब' सहित राज्य-वार कितनी नौकरियां खत्म हुई हैं;

(ख) क्या सरकार इन क्षेत्रों में रोज़गार को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) "भारत में औद्योगिक विवाद, कामबंदी, छंटनी तथा ले-ऑफ" पर श्रम ब्यूरो सांख्यिकीय के अनुसार, 2015 से 2019 तक स्थाई कामबंदी एवं विनिर्माण एवं निर्माण क्षेत्र में प्रभावित कामगारों तथा 2015 से 2019 तक विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में छंटनियों और प्रभावित कामगारों की राज्य-वार एवं वर्ष-वार संख्या अनुबंध-। तथा ।। में दी गई है।

(ख) एवं (ग) भवन एवं अन्य निर्माण कामगार रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन [(बीओसीडब्ल्यू) (आरईसीएस)] अधिनियम, 1996 की धारा 22(1) के अनुसार, बीओसी कामगारों तथा उनके आश्रितों के कौशल विकास से संबंधित योजना सहित कल्याण योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कल्याण बोर्डों द्वारा तैयार एवं कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश/परामर्शी जारी करती रही है। बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के कौशल विकास कार्यकलापों का राज्य कौशल विकास मिशनों/कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ अभिमुख करने, प्रशिक्षण अवधि के दौरान वृत्तिका एवं प्रशिक्षण व्यय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने, जो कि 3 वर्ष में एक बार ही है, तथा बगैर किसी वृत्तिका को किसी बीओसी कामगार के आश्रितों को कौशल विकास प्रदान करने के लिए सितम्बर, 2018 में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को परामर्श दिया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

नए रोजगार सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार, ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन साल तक लाभ प्राप्त होगा।

एएसपीआईआरई (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता के संवर्द्धन के लिए योजना) कृषि-उद्योग में उद्यमशीलता को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क तथा उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए प्रारंभ की गई थी।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

अनुबंध–I

विनिर्माण और सन्निर्माण क्षेत्र में नौकरियों का खत्म होना के संदर्भ में पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 11.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2673 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2015 से 2019 तक विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में स्थायी कामबंदी और प्रभावित कामगारों की राज्य और वर्ष-वार संख्या (अनंतिम)

वर्ष-2015 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1	260	-	-
2	गोवा	-	-	1	17
3	हिमाचल प्रदेश	1	90	-	-
4	कर्नाटक	1	96	-	-
5	ओडिशा	1	36	-	-
6	त्रिपुरा	9	687	-	-
7	उत्तर प्रदेश	4	118	-	-
योग		**17**	**1287**	**1**	**17**

वर्ष -2016 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश	3	204	-	-
2	ओडिशा	2	943	-	-
3	त्रिपुरा	11	553	-	-
4	उत्तर प्रदेश	6	345	-	-
5	उत्तराखंड	1	21	-	-
योग		**23**	**2066**	-	-

वर्ष -2017 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	हरियाणा	1	145	-	-
2	महाराष्ट्र	2	51	-	-
3	त्रिपुरा	4	24	-	-
4	उत्तर प्रदेश	4	234	-	-
5	तेलंगाना	3	642	-	-
6	उत्तराखंड	2	188	-	-
योग		**16**	**1284**	-	-

वर्ष -2018 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश	2	57	-	-
2	महाराष्ट्र	1	21	-	-
3	राजस्थान	1	118	-	-
4	तेलंगाना	2	226	-	-
5	उत्तराखंड	1	8	-	-
योग		**7**	**430**	-	-

वर्ष -2019 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश	1	45	-	-
योग		**1**	**45**	-	-

स्रोत: श्रम ब्यूरो

'-' शून्य सूचना को दर्शाता है

टिप्पणी: यह विवरण ब्यूरो में 26 नवंबर, 2019 तक प्राप्त विवरणियों/सूचना पर आधारित है

अनुबंध -II

विनिर्माण और सन्निर्माण क्षेत्र में नौकरियों का खत्म होना के संदर्भ में पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 11.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2673 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2015 से 2019 तक विनिर्माण और सन्निर्माण क्षेत्र में स्थायी कामबंदी और कामगारों की राज्य और वर्ष वार संख्या

वर्ष -2015 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	केरल	1	24	-	-
2	ओडिशा	1	1	-	-
योग		**2**	**25**	**-**	**-**

वर्ष -2016 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	महाराष्ट्र	-	-	-	-
		(1)	(36)		
2	तेलांगना	1	15	-	-
		2	**51**	-	-

वर्ष -2016 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	महाराष्ट्र	-	-	-	-
		(1)	(36)		
2	तेलांगना	1	15	-	-
		2	**51**	-	-

वर्ष -2017 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	ओडिशा	1	1	-	-
2	उत्तर प्रदेश	2	50	-	-
योग		**3**	**51**	-	-

वर्ष -2018 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	कर्नाटक	1	9	-	-
2	ओडिशा	2	27	-	-
योग		**3**	**36**	-	-

वर्ष -2019 (अनंतिम)					
		विनिर्माण		निर्माण	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1		-	-	-	-
योग		-	-	-	-

स्रोतः श्रम ब्यूरो

'-' शून्य जानकारी को दर्शाता है।

टिप्पणी: 1.कोष्ठक के भीतर की सूचना केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है।

2. टिप्पणी: यह विवरण ब्यूरो में 26 नवंबर, 2019 तक प्राप्त विवरणियों/सूचना पर आधारित है।